कार्यालय निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर

(जमाल गिल के सामने, जयपुर रोड, कुम्हारपारा, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़)

<u>E-mail - dirkvnp.cg@gov.in</u> जगदलपुर, दिनांक 27/09/2024

क्रमांक/त0अधि0/278। प्रति

Phone Number (07782) 299470

कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सुकमा ' छत्तीसगढ

विषय :- Diversion of 8.386 ha forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act - 1980 proposed for Widening and Strengthening work in Kanger Ghati National Park of Existing Road from Jagdalpur-Sukma-Konta Road (Km25.530 to 31-540+6.010 km of NH-30 (Old 221) Sukma District in State of Chhattisgarh-reg.

- संदर्भ :—1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक / FC-8/2/2024-IRO-Raipur/1562 दिनांक 02.02.2024
 - छत्तीसगढ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 5-07/2023/10-2 दिनांक 23.07.2024 एवं स्मरण पत्र दिनांक 05.09.2024
 - 3. अपर प्रधान मुख़्य वन संरक्षक (भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.) छत्तीसगढ़ का पृ0पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विधि/115–900/2333 दिनांक 20.09.2024

विषयांकित संदर्भित संलग्न पत्रों का अवलोकन करें। संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रापा हुआ है।

~~*

अतः 5 बिन्दुओं में से बिन्दु क्रमांक—ii,iii,iv की जानकारी दिनांक 30.09.2024 तक इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें, ताकि अतिरिक्त जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजी जा सके।

संलग्न :- उपरोक्त संदर्भितं पत्र।

 करंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान

 पृ०क्रमांक/त0अधि0/२२७।

 प्रतिलिपि

 मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीवन) एवं क्षेत्रीय निदेशक इन्द्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगद्रलपुर (छ0ग0)



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षके एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, रोक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरमाषः 0771 - 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-900/2332 प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक29/09/2024

संचालक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर, छत्तीसगढ

विषय :--

Diversion of 8.386 ha forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act - 1980 proposed for Widening and Strengthening work in Kanger Ghati National Park of Existing Road from Jagdalpur-Sukma-Konta Road (Km25.530 to 31-540+6.010 km of NH-30 (Old 221) Sukma District in State of Chhattisgarh-reg.

संदर्भः– 1.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-8/2/2024-IRO-Raipur/ 1562 दिनांक 02.02.2024

छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-07/ 2023/ 10-2 दिनांक 23.07.2024 एवं स्मरण पत्र दिनांक 05.09.2024

कार्यालयीन पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–900/1900 दिनांक 30.07.2024

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

संदर्भित पत्र—1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप

कॉर्यालय, नवा रायपुर द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र–2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हआ है।

= 0 =

संदर्भित पत्र–1 में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी अपने अभिमत सहित मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने हेतु संदर्भित पत्र-3 के माध्यम से लेख किया गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है।

छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र—2 दिनांक 05.09.2024 द्वारा **15 दिवस** के भीतर वांछित जानकारी प्रेषित करने हेतू स्मरण पत्र प्राप्त हुआ है।

अतएव चाही गई बिन्दुवार जानकारी <u>तत्काल</u> इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

सलग्न त्रानेन अभिगते

उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.) छत्तीसगढ

नवा रायपुर, दिनांक 20/09/2024

प. क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-900/ 2333 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. मुख्य वन संरक्षक, जगदलपुर वृत्त, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यति मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं क्षेत्र संचालक, इन्द्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर।

3. वन मंडलाधिकारी, सुकमा वन मंडल, सुकमा, छत्तीसगढ़।

4. कार्यपालन अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सुकमा, छत्तीसगढ़।

उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.) छत्तीसगढ

etter Vinach 2023 (1).do

संलग्नः-

छत्तीसगढ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय,

महानदी भवन, अटल नगर रायपुर

कमांक एफ 5-07 / 2023 / 10-2 अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक / 09 / 2024 प्रति,

- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं वन बल प्रमुख अरण्य भवन, सेक्टर–19
- अटल नगर रायपुर। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरण्य भवन, सेक्टर–19 अटल नंगर रायपुर।
- विषय:- Diversion of 8.386 ha. forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act-1980 proposed for Widening and Strengthening work in Kanger Ghati National Park of Existing Road from Jagdalpur-Sukma-Konta Road (Km 25.530 to 31.540=6.010 km of NH-30(Old 221)Sukma District in State of Chhattisgarh-reg.

संदर्भः– इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 5–07/2023/10–2 दिनांक 23.07.2024।

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उप कार्यालय रायपुर के पत्र कमांक FC-8/2/2024-IRO-Raipur/1562, दिनांक 02.02.2024 द्वारा वांछित 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया था। उक्त वांछित जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

2/- अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि, कृपया 15 दिवस के भीतर भारत सरकार द्वारा वांछित 5 बिंदुओं की जानकारी सर्वसंबंधितों से प्राप्त कर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– भारत सरकार, के पत्र दिनांक 02.02.2024 की छायाप्रति (01 पृष्ठीय)।

उप वन XIE. (भ-प्रबंध) काली दशुराम, एवं यन बल प्रमुख गणः राष्यु(छत्तीसगढ़

(डी.आर.सोन्टापर) अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 5/09/2024

पु.कमांक एफ 5-07/2023/10-2 प्रतिलिपिः—

✓1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) अरण्य भवन, नवा रायपुर। 2. संचालक, कांगेर घाटी, राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन र्वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग रतमरकार विरण, वन एवं जलवायुपरिवर्तनमंत्रालय (-कार्यालय. व्य भवन, जार्थच्लॉक, वटर-19, नवारायपुर, अटलनगर तीसगढ़ - 492002 जिल-iro.raipur-metec@pov.in



GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE SUB-OFFICE ARANYA BHAWAN, NORTH BLOCK, SECTOR-19, NAVA RAIPUR, ATAL NAGAR, CHHATTISGARH – 492002 Email – iro.raipur-mefcc@gov.in

File No. FC-8/2/2024-IRO-RAIPUR/ / 562. To, Date: - 02/02/2024

The Principal Secretary (Forests), Govt. of Chhattisgarh, Forest Department, Mantralaya, Mahanadi Bhavan, Nava Raipur (CG) – 492001

Sub: Diversion of 8.386 ha forest land for Non-Forest Purpose under Forest Conservation Act -1980 proposed for Widening and Strengthening work in Kanger Ghati National Park of Existing Road from Jagdalpur- Sukma -Konta Road (Km 25.530 to 31.540 =6.010 km of NH-30 (Old 221) Sukma District in State of Chhattisgarh -reg.

Sir,

Kindly refer to letter no. F-5-07/2023/10-2 dated 08.11,2023 of the Government of Chhattisgarh, and letter no. Bhu-prabandh/vividh/115-900/874, dated 05.04.2023, and Bhu-prabandh/vividh/115-900/2211, dated 21.09.2023 the APCCF, Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh on the above subject seeking prior approval of the Central Government under Section- 2 (i) of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. On examination of the proposal in the Regional Office, MoEF&CC, following observations are noted.

- i. The forest area proposed for diversion is part of Kanger Ghati National Park. However, DFO in PART I) of the proposal under SI No 8 (ii) (iv) reported that the said area is not part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. Hence, correct details needs to be updated by the DFO concerned.
- ii. Supporting documents relating to legal status of existing road i.e. pre 1980 road or any diversion obtained under Van (Sanrakshan Evam Sanivardhan) Adhiniyam, 1980 may be furnished.
- iii. It may be clarified whether existing road portion also been included within the diversion proposal. Actual BT portion to be made by widening may be mentioned.
- iv. DFO reported density of the area as 0.5 and 251 trees required to be felled. However, as per the alignment, more trees may require to be felled. Hence, actual length and width of the road to be widened may be provided.

v. DFO has not filled district profile in the PART-II of the proposal.

In view of the above, it is requested to submit information on the above observations to this office for consideration for approval under Section-2 (i) of the of Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Yours faithfully,

Chaturbhuja Béhèra, IFS Inspector General of Forests

229

Copy to:

K

1. The PCCF & HoFF, Government of Chhattisgarh. Sector-19. Aranya Bhavan. Atal Nagar. Nava Raipur (CG).

٢,

٢.

- The Addl. PCCF & Nodal Officer (FCA). Government of Chhattisgarh, Sector-19, Aranya Bhavan, Atal Nagar. Naya Raipur (CG).
- 3. User Agenty.
- 4. Guard File.

Chaturbhoja Behera,I ς

Inspector General of Forests